पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, R.A.S.

प्रकरण संख्या 11/2014 निर्णय दिनांक :4–5– 2017

श्री उदयराम पिता डालूराम जाति मीणा आयु 44 साल निवासी गाव नावन खेडी (चित्रावेली) तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— वादी

–: ब ना म :–

1– श्री बंशीलाल पिता रतनलाल जाति यादव आयु 53 साल निवासी छोटीसादडी

2– श्रीमती विमलाबाई पत्नि खेमराज जाति मेघवाल, आयु 52 साल निवासी नावन खेडी (चित्रावेली) तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

3– श्री तहसीलदार, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी अधिकार

उपस्थित :– 1– रोहीताश्व पंचोली एडवोकेट —— अभिभाषक वादी
2– प्रतिवादी की तरफ से —— एक तरफा कार्यवाही

—: निर्णय :—

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मोवाई तहसील छोटीसादडी में रतनलाल पुत्र कैलाराम यादव के खातेदारी में आराजी सं. 319 रकबा 0–52 हेक्टर, आ.सं. 325 रकबा 0–22 हेक्टर, व आ.सं. 349 रकबा 0.60 हेक्टर स्थित हैं, जिन पर रतनलाल के समय ही कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा हैं, वादी ही उक्त आराजियात में फसल बोता व लेता आ रहा हैं। रतनलाल की मृत्यु हो गई हैं। रतनलाल की मृत्यु हुई तब वादी का कबजा 14 वर्ष का था, तथा वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त 24 साल से लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा हैं।

खातेदार रतनलाल की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर खोला गया गया मगर तब भी कब्जा वादी का था। नामान्तरकरण खोले जाने के बाद प्रतिवादी सं. 1 के उकत जमीन प्रतिवादी सं. 2 को बेचान कर दी परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने कब्जा प्रतिवादी सं. 2 को सुपुर्द नहीं किया, तथा ना ही प्रतिवादी सं. 2 ने कब्जा प्रतिवादी सं. 1 से लिया क्योकि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा प्रतिवादी सं. 1 का नहीं था बल्की कब्जा निरन्तर वादी का चला आ रहा था। उपरोक्त आराजियात पर वादी का कब्जा काश्त मृतक रतनलाल व प्रतिवादीगण की जानकारी में शान्तिपूर्वक बीना किसी अवरोध के 12 वर्षो से अधिक समय से लगातार प्रतिकुल कब्जा चला आ रहा हैं जो प्रतिवादीगण की भलीभाती जानकारी में होने से वादी को धारा 63(4) काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 24–1–2017 को वादग्रस्त आराजियात पर उसका 24 साल से अधिक समय से प्रतिकुल कब्जा होने से आराजियात उसके नाम पर दर्ज कराने के लिये कहॉ तो प्रतिवादीगण ने न्यायालय में वाद पेश कर कराने को कहा। इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादग्रस्त आराजियात पर वादी का 24 सालो अधिक समय से प्रतिकुल कब्जा होने से उसे खातेदारी हक प्राप्त हो गये हैं तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी हक व अधिकार समाप्त हो गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया गया। इसलिये वादी ने आराजी सं. 319 रकबा 0-52 हेक्टर, आ.सं. 325 रकबा 0-22 हेक्टर व आ.सं. 349 रकबा 0.60 हेक्टर का खातेदार काश्त कार घोषित किया जाकर वादी के नाम दर्ज करने की प्रार्थना अपने वाद पत्र में की है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जांच रिपोर्ट के दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, प्रतिवादी सं. 2 व 3 बाद तामील न्यायालय मे हाजीर होकर जवाब के लिये समय चाहा, प्रतिवादी सं. 1 को पुनः सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने दिनांक 10-2-14 से दिनांक 20-4-17 तक अपना जवाब न्यायालय में पेश नहीं किया तथा दिनांक 20-4-17 को प्रतिवादी सं. 2 व 3 न्यायालय में उपस्थित हुवे। प्रतिवादी सं. 1 को जारी किया गया सम्मन प्रतिवादी सं. 1 ने लेने से इन्कार कर दिया ततपश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी उदयलाल ने अपना शपथपत्र व गवाह नानुराम पिता अमरा मीणा का शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर पी.डब्ल्यु-1 के रूप में उदयलाल ने अपने बयान लेख भैरूलाल ने अपने स्वयं के बयान व गवाह नानुराम मीणा ने पी.डब्ल्यु -2 के रूप में अपने बयान न्यायालय में लेख बद्व कराये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श-1 लगावत प्रदर्श- 8 के रूप में प्रदर्शीत करवा कर साक्ष्य बन्द की। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। बहस अंतिम सुनी गई। दोराने बहस वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यो व वादी के व गवाह के शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात 319, 325 व 349 कुल रकबा 1.34 हेक्टर पर खातेदार रतनलाल की मृतयु के 14 साल पहले से वादी का प्रतिकुल कब्जा शान्ति पुर्वक चला आ रहा हैं रतनलाल की मृत्यु के बाद वादग्रस्त जमीन विरासत से प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने जमीन पर अपना कब्जा नहीं होने व वादी का लगातार कब्जा होने से जमीन प्रति.सं. 2 को बेचान कर दी परन्तु प्रति.सं. 1 ने प्रति.सं. 2 को भी कब्जा मोके पर नहीं दिया क्योकि कब्जा वादी का लगातार चला आ रहा था। वादग्रस्त जमीन पर वादी का आज लगभग 24 सालो से अधिक समय से शान्तिपुर्वक बीना किसी बाध के कब्जा निरन्तर चला आ रह हैं। इसलिये वादी का 24 सालो से प्रतिकुल कब्जा हाने से वादी को वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी हक प्राप्त हो गये हैं व प्रतिवादीगण के खातेदारी हक व अधिकार स्वतः समाप्त हो गये हैं इसलिये वादी को प्रतिकुल कब्जे के आधर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजियात को वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित की जावे। वकील वादी की ओर से की गई बहस को ध्यान पुर्वक सुन कर पत्रावली का भली भाती अवलोकन कर पत्रावली पर मोजुद आई साक्ष्य व दस्तावेजो का गम्भीरता पुर्वक परिसीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं की आराजी सं. 319, 325 व349 कुल रकबा 1-34 हेक्टर रतनलाल पिता केवलराम यादव के नाम पर दर्ज हैं, समवत् 2062 से 65 की जमाबन्दी में उक्त आराजियात रतनलाल के बजाय वीरासत से प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज हुई व प्रतिवादी सं. 1 से उक्त जमीन प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर दर्ज हुई हैं। अगर प्रतिवादी सं. 2 ने उक्त जमीन क्रय की हैं तो उसे न्यायालय में आकर अपनी तरफ से वादी के वाद का खण्डन कर जवाब पेश करना था, तथा अपने समर्थन मे दस्तावेज विक्रय पत्र पेश करने थे, परन्तु प्रतिवादी सं. 2 ने पर्याप्त समय दिये जाने के बावजुद अपना जवाब पेश नहीं किया ना कोई दस्तावेज पेश किये हैं। जिससे यह स्पष्ट हो जाता हैं की प्रतिवादी सं. 2 ने वादग्रस्त आराजियात का मोके पर कब्जा प्राप्त नहीं किया हैं तथा उसका मोके पर कोई कब्जा नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

जबकी वादी ने अपना शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को न्यायालय के समक्ष सही होना स्वीकार किया हैं। वादी अपने शपथ पत्र में कहता हैं कि उसका वादग्रस्त आराजियात पर 24 सालो से भी अधिक समय से शान्ति पुर्वक बीना किसी अवरोध के प्रतिकुल कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जो मृतक रतनलाल व उसके बाद प्रतिवादीगण की भलीभाती जानकारी में रहा है। रतनलाल की मृत्यु के समय उसका कब्जा 14 साल का कब्जा था उसके बाद प्रतिवादी सं॰ 1 के नाम पर जमीन दर्ज हुई व प्रतिवादी सं॰ 1 से प्रतिवादी के सं॰ 2 के नाम पर दर्ज हुई परन्तु ना तो प्रतिवादी सं॰ 1 का व ना कभी प्रतिवादी सं॰ 2 का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा रहा हैं, ना उन्होने कब्जा लेने की कोई कार्यवाही वादी के विरूद्ध आज दिन तक नहीं की हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि वादी का वादग्रस्त आराजी सं॰ 319, 325 व 349 कुल रकबा 1–34 हेक्टर पर लगभग 24 सालो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जो एडवर्स पजेशन की श्रेणी में आता हैं। इसके अलावा गवाह नानुराम मीणा ने भी अपने बयान के मुख्य परिक्षण के रूप में अपना शपथ पत्र पेश कर वादी के कथनो का समर्थन किया हैं। वादी व गवाह के शपथ पत्र में अंकित तथ्यो के खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई शपथ पत्र, या मोखीक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई हैं। जिससे वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डीत रही हैं, तथा पत्रावली पर ऐसा कोई कारण मोजुद नहीं हैं जिससे वादी व उसके गवाह नानुराम के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सके। वादी व उसके गवाह के बयानो से स्पष्ट हैं कि वादी का वादग्रस्त आराजियात पर 24 सालो से भी अधिक समय से शान्ति पुर्वक बीना किसी अवरोध के प्रतिकुल कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जो मृतक रतनलाल व उसके बाद प्रतिवादीगण की भलीभाती जानकारी में रहा है, ओर वादी के कथना अनुसार आज भी वह (वादी) अपने पुराने प्रतिकुल कब्जे के अनुसार ही काबीज चला आकर काश्त कर रहा है। जिससे उसे उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो गये हैं तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी हक व अधिकार समाप्त हो गये है। ऐसी स्थिती में वादी के पुराने कब्जे के साथ छेड छाड कर उन्हे डिस्टर्ब किया जाना उचित प्रतित नहीं होता हैं। तथा आराजी नं॰ 319, 325 व 349 कुल रकबा 1–34 हेक्टर पर वादी अपना प्रतिकुल कब्जा साबीत करने में पुर्ण रूप से सफल रहा है। इसलिये वादी को आराजी नं॰ 319, 325 व 349 कुल रकबा 1–34 हेक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है, तथा वादी उक्त आराजियात को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 स्वीकार किया जाकर वादी को आराजी सं॰ 319 रकबा 0–52 हेक्टर, आ॰सं॰ 325 रकबा 0–22 हेक्टर, व आ॰सं॰ 349 रकबा 0.60 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1–34 हेक्टर पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी सं॰ 3 को यह आदेश प्रदान किया जाता हैं कि वह प्रतिवादी 2 के स्थान पर उक्त आराजियात को राजस्व रेकार्ड की चालु जमाबन्दी में वादी के नाम पर दर्ज करने हेतु हल्के के पटवारी को तहरीर जारी कर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करावे। उरोक्त अनुसार डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04–05– 2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
उपखण्ड अधिकारी